संख्या- 28/2018/सा-3-529/दस-18-308/2016-तृतीय

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
वित्त विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

वित्त(सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 10 दिसम्बर, 2018

विषय माननीय न्यायालयों अथवा जाँच समिति आदि द्वारा सेवानिवृत्त कार्मिकों को साक्ष्य हेतु सीधे बुलाये जाने के प्रकरणों में संबंधित कार्मिक के यात्रा भत्ता देयक का भुगतान ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-28/2017/सा-3-333/दस-2017-308 /2016 तृतीय, दिनांक 22-08-2017 के प्रस्तर-3(1) में ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिकों जिन्हें न्यायालय अथवा आयोग अथवा किसी जाँच समिति आदि में सेवाकाल में किये गये कार्यो के आधार पर साक्ष्य हेतु बुलाया जाता है, के यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के भुगतान हेतु यह व्यवस्था की गयी है कि कार्मिक द्वारा प्रस्तुत यात्रा भत्ता देयक उस कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसके माध्यम से उसे साक्ष्य हेतु बुलाये जाने का आदेश प्राप्त होता है और कार्यालय के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा यात्रा भत्ता देयक की राशि आहरित करके पेंशनर (कार्मिक) के बैंक खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- शासन के संज्ञान में ऐसे प्रकरण भी लाये गये हैं जिनमें माननीय न्यायालयों अथवा जाँच समिति आदि द्वारा सेवानिवृत्त कार्मिकों को साक्ष्य हेतु सीधे बुलाया जाता है। इस प्रकार के प्रकरणों में संबंधित कार्मिक के यात्रा भत्ता देयक का भुगतान कराये जाने हेतु आदेश निर्गत किये जाने का अनुरोध शासन से किया गया है।

3- इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जिन मामलों में किसी सेवानिवृत्त कार्मिक को न्यायालय अथवा जाँच समिति आदि द्वारा साक्ष्य हेतु सीधे बुलाया जाता है, इन मामलों में संबंधित कार्मिक के यात्रा भत्ता देयक का भुगतान उस विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा किया जायेगा जिस विभाग के प्रकरण के संबंध में सेवानिवृत्त कार्मिक को साक्ष्य हेतु बुलाया गया था। सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा प्रस्तुत यात्रा भत्ता देयक को उस विभागाध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा और विभागाध्यक्ष कार्यालय के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा देयक की धनराशि आहरित कर संबंधित सेवानिवृत्त कार्मिक के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी। शासनादेश दिनाँक 22-08-2017 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव

संख्या-28/2018/सा-3-529(1)/दस-2018,तद् दिनाँक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2- निदेशक,पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन,लखनऊ।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in